प्रतिभूति मुद्रणालय **SECURITY PRINTING PRESS**



(भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई) (A Unit of Security Printing & Minting Corporation of India Limited) (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन/Wholly owned by Government of India) टकसाल कंपाउण्ड, सैफाबाद, हैदराबाद /Mint Compound, Saifabad, HYDERABAD-500 063

E-mail: spp.hyd@spmcil.com

Ph : 040-23253601

Website: http://spphyderabad.spmcil.com

CIN No. U22213 DL 2006 GOI 144763 Fax: 040-23456687

सं./No. एसपीपी/SPP/मा.सं/HR/एसएचसी/SHC/2024/ 170

दिनांक/Date: 10-04-2024

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय/ Subject: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के पुनर्गठन के संबंध में।/

Re-constitution of Internal Complaints Committee (ICC) under sexual harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition, & Redressal), Act 2013 – regarding.

पर्ववर्ती कार्यालय आदेश दिनांक 01-02-2024 में आंशिक संशोधन करते हुए तथा एसपीएमसीआईएल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)के पुनर्गठन से संबंधित इकाई स्तर पर समिति का पनर्गठन किया गया है।

In partial modification of earlier Office Order dated: 01-02-2024 and keeping in line with the guidelines issued by SPMCIL for Re-constitution of the Internal Complaints Committee (ICC) under sexual harassment of women at Work Place (Prevention, Prohibition, & Redressal) Act 2013, the unit level Committee has been reconstituted.

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खंड 4 के प्रावधानों के अनुसार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के 2. शिकायतों के निपटान के लिए तत्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) से संबंधित सदस्यों का पनर्गठन किया गया है।

In accordance with the provisions of Section 4 of the Sexual Harassment of women at work place, the Internal Complaint Committee (ICC) is re-constituted comprising of the following members to deal with the complaints of sexual harassment of women at work place with immediate effect:

क्रमांक/	अधिकारी के नाम(सुश्री/श्री/श्रीमती)	पदनाम/	पद/
Sl. No.	Name of the Officer (S/Shri./Smt.)	Designation	Position
1.	बी. अनिता /V. Anitha	उप महा प्रबंधक (वि व ले)/ DGM(F&A)	अध्यक्ष/ Chairperson
2.	अभिषेक कुमार/ Abhishek Kumar	सहायक प्रबंधक (वि धि)/AM (LEGAL)	सदस्य/Member
3.	पी. पद्मावती/ P. Padmavathi	एन. जी. ओ. प्रतिनिधि/ NGO representative	सदस्य/Member
4.	किर्थना एस./ Keerthana S.	पर्यवेक्षक (त.प्र.)/Supervisor (TO)	सदस्य/Member

3. यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत घटना के तिथि के तीन माह के भीतर या यदि घटना के अनुक्रम में हो, तो अंतिम घटना के तिथि के तीन माह के भीतर पत्र या ई-मेल के माध्यम में लिखित रूप में आई.सी.सी को सूचित किया जा सकता है।/

Any grievance on Sexual harassment may be referred to the ICC by writing through a letter or email within three months from the date of incident or if there are series of incidents, three months from the date of last incident.

4. सिमिति महिला कर्मचारियों सें यौन उत्पीड़न की शिकायतों लिखित में को प्राप्त करेंगी तथा सिमिति गोपनीय रूप से शिकायतों का समयबद्ध निवारण करेगी और विस्तृत रिपोर्ट मु.म.प्र/विभागाध्यक्ष एवं अनुशासनिक प्राधिकारी को सौपेगी। सिमिति किसी भी तरीके से किसी कर्मचारी के जाँच प्रक्रिया की कार्रवाई को प्रकट नहीं करेगी।

The Committee will receive complaint(s) of sexual harassment in written from women employees and the committee shall ensure time bound. Deportment of complaints confidentially and a detailed report is required to be submitted to the CGM / Head of the Department & Disciplinary Authority. The Committee should not disclose the proceedings of the enquiry to any employee in any manner.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।/ This is issued with the approval of the Competent Authority.

भवदीय/ Yours faithfully,

3य - द्वेग प्रशाद विश्व विश्व (आ.दुर्गा प्रसाद/A. Durga Prasad) अपर महा प्रबंधक(मा. सं) एवं का. प्र / Addl. General Manager (HR) & H.O.O

सेवा में, To सभी समिति सदस्यों को/All Committee Members.

प्रतिलिपि/ Copy to:

- 1. सभी सूचना पट्ट/ All Notice Boards.
- 2. सभी कार्यपालक/पर्यवेक्षक. All Executives/Supervisors.
- 3. सीएसओ, टीएसएसपीएफ/आई.ओ (आई.बी)/प्रबंधक (सतर्कता)/ CSO, TSSPF/I.O. (IB) / Manager (Vigilance).
- 4. समय कार्यालय/भंडार/औषधायल/कैंटीन व स्वच्छता /महासचिव, एचएसपीपी कर्मचारी संघ, एसपीपीएच हैदराबाद। Time Office/Stores/Dispensary/Canteen & Sanitary Section/General Secretary, HSPP Employees Union, SPP Hyderabad.
- 5. मु. म. प्र कार्यालय, एचपीपीएच/ CGMs Secretariat, SPPH.
- 6. कुमारी शिवांगी चंद्रा, उप प्रबंधक (विधि)/ Kum. Shivangi Chandra, DM (Legal) for information.